रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2013/वैशाख 26, 1935	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 37
No. 83]	DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2013/VAISAKHA 26, 1935	[N.C.T.D. No. 37

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2013

सं. फा. डीई 4(6)(210)/ई. IV/2003/पार्ट-1/510.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम, पद के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 28 जून, 1960 की अधिसूचना संख्या फा. 26(49)/59-आर एंड एस के अतिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, सहायक अध्यापक (प्राथमिक) भर्ती नियमावली, 2013 कहा जाएगा ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उसके संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा योग्यताएं आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है, या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है ।

2030 DG/2013

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे ।

6. बचाव.—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार में "सहायक अध्यापक (प्राथमिक)" के पद के भर्ती नियम में संशोधन

1.	पद का नाम	:	**सहायक अध्यापक (प्राथमिक)**
2.	पदों की संख्या	:	4016 ' (2013) ' इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैण्ड – 2 9300–34800/– रुपये (ग्रेड पे – 4200/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीपः – आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :– 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित सीनियर सैकेण्डरी ;अथवा इसके समकक्षद्ध तथा प्राथमिक शिक्षा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित सीनियर सैकेण्डरी ;अथवा इसके समकक्षद्ध तथा एनसीटीई (मान्यता मापदंड तथा प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षा (चाहे किसी भी नाम से

			जाना जाता हो) में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित सीनियर सैकेण्डरी ;अथवा इसके समकक्षद्ध तथा प्राथमिक शिक्षा (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित सीनियर सैकेण्डरी ;अथवा इसके समकक्षद्ध तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में दो वर्षीय डिप्लोमा 2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित केन्द्रीय अध्यापक योग्यता परीक्षा (सीटीईटी) में उत्तीर्ण। 3. सैकेण्डरी स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी अथवा उर्दू अथवा पंजाबी अथवा अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो। टीप 1:– आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजााति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग से संबंधित उम्मीदवारों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक छूट। टीप 2:– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	लागू नहीं

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति ;स्थाईकरण पर विचार करने हेतुद्ध 1 सचिव ;शिक्षाद्ध, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. निदेशक ;शिक्षाद्ध, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव ;शिक्षाद्ध, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

डॉ. मधु तवेतिया, अतिरिक्त सचिव, शिक्षा

DIRECTORATE OF EDUCATION
NOTIFICATION

Delhi, the 16th May, 2013

No. F. D.E. 4(6)(210)/E.IV/2003/Pt-I/510.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (I) dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F. 26(49)/59-R & S dated the 28th June, 1960, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Teacher (Primary) in the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, namely :—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Directorate of Education, Assistant Teacher (Primary) Recruitment Rules, 2013
   (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and scale of pay.** – The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** – No person,-

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Assistant Teacher (Primary) under the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non-Selection post
1.	2.	3.	4.	5.
Assistant Teacher (Primary)	4016* (2013) *subject to variation dependent on workload	GCS Group "B", Non-Gazetted, Non Ministerial	(PB-2) Rs. 9300-34,800 (Grade Pay – Rs. 4200)	Not Applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation, if any
6.	7.	8.	9.
Not exceeding 30 Years. **Note1:** Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note2:** The crucial date for determining the	**Essential:-** 1. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-years Diploma in Elementary Education (by whatever name known) from a recognized Board. OR Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-years Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) regulations -2002.	Not Applicable	2 Years

2030 89/13-2

age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	OR Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.). OR Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education) from a recongnized Board. OR		
Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of J&K State, Lahul & Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar islands or Lakshadweep).	Graduation and two years Diploma in Elementary Education (by whatever name known) from a recognized Board. 2. Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by the Central Board of Secondary Education (CBSE). 3. Must have passed Hindi or Urdu or Punjabi or English as a subject at Secondary level. NOTE-1: Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC/ST/OBC/PH. NOTE-2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.		

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
10.	11.	12.	13.
By Direct Recruitment	Not Applicable	**Group "B" DPC (For considering confirmation):-** 1.Secretary (Education), Government of NCT of Delhi -**Chairman** 2 Director (Education), Government of NCT of Delhi -**Member** 3 Additional Director/ Additional Secretary/ Joint Secretary (Education), Government of NCT of Delhi -**Member**	Consultation with UPSC not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. MADHU TEOTIA, Addl. Secy, Education

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2013

सं. एफ. डी.आई.एस.एम.एच./6/7/98/प्र./163.— औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 152 सपठित नियम 2 की उपधारा (1) जो औषधि एवं प्रसाधन नियम, 1940 (23 का 1940) के प्रावधान के अनुपालन में माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार डॉ. नीलेश कुमार आहुजा, एस.एम.ओ./उपनिदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति को उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत भाग XVI के उद्देश्य हेतु दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के लिए लाईसेंसिग प्राधिकारी नियुक्त किये जाने के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के सचान, उप-सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th May, 2013

No. F. DISMH/6/7/98/Admn./163.—In pursuance of Rule 152 read with clause (i) of Rule 2 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 framed under the provision of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Dr. Nilesh Kumar Ahuja, SMO/Dy. Director (ISM), Dte. of ISM&H, Government of NCT of Delhi as Licensing Authority for the purpose of the part XVI of the said rule for the whole of the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

S. K. SACHAN, Dy. Secy.

गृह (पुलिस-2) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 16 मई, 2013

सं. फा. 2/11/1989/गृह पुलिस-2/खण्ड/3612.—इस सरकार की इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या फा. 2/11/1989/गृह पुलिस-2/खण्ड/3350 दिनांक 19-05-2010 के अतिक्रमण में तथा विदेशी मुद्रा तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 52) की धारा 8 के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर तत्काल प्रभाव से कथित अधिनियम के प्रयोजन के लिये, दिल्ली उच्च न्यायालय निम्नलिखित न्यायाधीशों की सलाहकार समिति गठित करते है :—

1. माननीय न्यायाधीश श्री जी एस. सिसतानी — अध्यक्ष
2. माननीय न्यायाधीश श्री सुदर्शन कुमार मिश्रा — सदस्य
3. माननीय न्यायाधीश श्रीमति वीना बीरबल — सदस्य

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 16th May, 2013

No. F. 2/11/89-HP-II/Pt/3612.—In supersession of this Government's Notification No. F. 2/11/89-HP-II/Part/3356-57 dated the 19-05-2010 issued in this regard and in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 8 read with clause (f) of section 2 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Delhi, is pleased to constitute the Advisory Board consisting of the following Hon'ble Judges of the High Court of Delhi for the purpose of the said Act with immediate effect:—

(1) Hon'ble Mr. Justice G. S. Sistani —Chairman

(2) Hon'ble Mr. Justice Sudershan Kumar Misra —Member

(3) Hon'ble Ms. Justice Veena Birbal —Member

सं. फा. 2/11/1989/गृह पुलिस-2/खण्ड/3620.—इस सरकार की इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या फा. 2/11/1989/गृह पुलिस-2/खण्ड/3367-74 दिनांक 19-05-2010 के अतिक्रमण में तथा कालाबाजारी रोकथाम तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम 7) की धारा 2 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर तत्काल प्रभाव से कथित अधिनियम के प्रयोजन के लिये, दिल्ली उच्च न्यायालय निम्नलिखित न्यायाधीशों की सलाहकार समिति गठित करते है ।

1. माननीय न्यायाधीश श्री जी. एस. सिसतानी — अध्यक्ष
2. माननीय न्यायाधीश श्री सुदर्शन कुमार मिश्रा — सदस्य
3. माननीय न्यायाधीश श्रीमति वीना बीरबल — सदस्य

No. F. 2/11/89-HP-II/Pt/3620.—In supersession of this Government's Notification No. F. 2/11/89-HP-II/Part/ 3367-74 dated the 19-05-2010 issued in this regard and in exercise of the powers conferred by section 9 read with clause (c) of section 2 of the Prervation of Black Marketing and maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Delhi, is pleased to constitute the Advisory Board consisting of the following Hon'ble Judges of the High Court of Delhi for the purpose of the said Act with immediate effect:-

(1) Hon'ble Mr. Justice G. S. Sistani —Chairman

(2) Hon'ble Mr. Justice Sudershan Kumar Misra —Member

(3) Hon'ble Ms. Justice Veena Birbal —Member

(स्थापना विभाग)

सं. फा. 11/36/यूएपीए/2011/गृह पुलिस-II/3651.—विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1976 (1976 का 37) की धारा 2 के खण्ड (ञ) के साथ पठित खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा श्री अरविन्द रे, प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के अन्तर्गत पदनामित प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

जी. पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव (गृह)

(Establish Department)

No. F. 11/36/UAPA/2011/HP-II/3651.—In exercise of the powers conferred by clause (e) read with clause (j) of section 2 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby specifies Shri Arvind Ray, Principal Secretary (Home), Government of National Capital Territory of Delhi to be the Designated Authority under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967).

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

सं. फा. 2/11/1989/गृह पुलिस-2/खण्ड/3628.—इस सरकार की इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या फा. 2/11/1989/गृह पुलिस-2/खण्ड/3359-66 दिनांक 19-05-2010 के अतिक्रमण में नशीली दवाईयां एवं स्वायक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 2 के खण्ड (जी) के साथ पठित धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर तत्काल प्रभाव से क्थित अधिनियम के प्रयोजन के लिये, दिल्ली उच्च न्यायालय निम्नलिखित न्यायाधीशों की सलाहकार समिति गठित करते हैं।

1. माननीय न्यायाधीश श्री जी. एस. सिसतानी — अध्यक्ष

2. माननीय न्यायाधीश श्री सुदर्शन कुमार मिश्रा — सदस्य

2. माननीय न्यायाधीश श्रीमति वीना बीरबल — सदस्य

No. F. 2/11/89-HP-II/Pt/3628.—In supersession of this Government's Notification No. F. 2/11/89-HP-II/Part/ 3359-66 dated the 19-05-2010 issued in this regard and in exercise of the powers conferred by clause (a) of section (9) read with clause (g) of section 2 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice

2030 DG/13-3

of the High Court of Delhi, is pleased to constitute the Advisory Board consisting of the following Hon'ble Judges of the High Court of Delhi for the purpose of the said Act with immediate effect:-

(1) Hon'ble Mr. Justice G. S. Sistani	—Chairman
(2) Hon'ble Mr. Justice Sudershan Kumar Misra	—Member
(3) Hon'ble Ms. Justice Veena Birbal,	—Member

सं. फा. 2/11/1989/गृह पुलिस-2/खण्ड/3636.—इस सरकार की इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या फा. 2/11/1989/गृह पुलिस-2/खण्ड/3383-90 दिनांक 19-05-2010 के अतिक्रमण में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम 65) की धारा 2 के खण्ड (ड) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर तत्काल प्रभाव से कथित अधिनियम के प्रयोजन के लिये, दिल्ली उच्च न्यायालय निम्नलिखित न्यायाधीशों की सलाहकार समिति गठित करते हैं।

1. माननीय न्यायाधीश श्री जी. एस. सिसतानी	— अध्यक्ष
2. माननीय न्यायाधीश श्री सुदर्शन कुमार मिश्रा	— सदस्य
3. माननीय न्यायाधीश श्रीमति वीना बीरबल	— सदस्य

No. F. 2/11/89-HP-II/Pt/3636.—In supersession of this Government's Notification No. F. 2/11/89-HP-II/Part/ 3375-82 dated the 19-05-2010 issued in this regard and in exercise of the powers conferred by section (9) read with clause (e) of section 2 of the National Security Act, 1980 (65 of 1980), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Delhi, is pleased to constitute the Advisory Board consisting of the following Hon'ble Judges of the High Court of Delhi for the purpose of the said Act with immediate effect:—

( ) Hon'ble Mr. Justice G. S. Sistani	—Chairman
(2) Hon'ble Mr. Justice Sudershan Kumar Misra	—Member
(3) Hon'ble Ms. Justice Veena Birbal	—Member

सं. फा. 2/11/1989/गृह पुलिस-2/खण्ड/3604.—इस सरकार की इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या फा. 2/11/1989/गृह पुलिस-2/खण्ड/3375-82 दिनांक 19-05-2010 के अतिक्रमण में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यथा प्रवृत्त पंजाब सुरक्षा राज्य अधिनियम, 1953 (1953 का पंजाब अधिनियम 12) की धारा 7 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर तत्काल प्रभाव से कथित अधिनियम के प्रयोजन के लिये, दिल्ली उच्च न्यायालय निम्नलिखित न्यायाधीशों की सलाहकार समिति गठित करते हैं।

1. माननीय न्यायाधीश श्री जी. एस. सिसतानी	— अध्यक्ष
2. माननीय न्यायाधीश श्री सुदर्शन कुमार मिश्रा	— सदस्य
2. माननीय न्यायाधीश श्रीमति वीना बीरबल	— सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

बी. के. तिवारी, उप-सचिव (गृह)

No. F. 2/11/89-HP-II/Pt/3604.—In supersession of this Government's Notification No. F. 2/11/89-HP-II/Part/ 3383-90 dated the 19-05-2010 issued in this regard and in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 7 of the Punjab Security of State Act, 1953 (Punjab Act 12 of 1953) as extended to the National Capital Territory

of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Delhi, is pleased to constitute the Advisory Board consisting of the following Hon'ble Judges of the High Court of Delhi for the purpose of the said Act with immediate effect:—

(1) Hon'ble Mr. Justice G. S. Sistani — Chairman

(2) Hon'ble Mr. Justice Sudershan Kumar Misra — Member

(3) Hon'ble Ms. Justice Veena Birbal — Member

By Order and in the Name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

B. K. TIWARI, Dy. Secy. (Home)

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2013

सं. फा. 16(12)/97/श.वि./जल/327.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की उपधारा 2 के खंड (एम) जो धारा 7 और 51 के साथ पठित है के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए तथा सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 14-07-2011 के आदेशानुसार दिल्ली जल बोर्ड, कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती एवं पदोन्नति विनियमों को सामान्य सूचना हेतु एतद्द्वारा नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति विनियम ।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ** : इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के भर्ती और पदोन्नति विनियम 2013 कहा जायेगा ।
2. **अनुप्रयोग** :– ये विनियम यहां संलग्न अनुसूची के कालॅम संख्या–1 में विनिर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगें ।
3. **पदों की संख्या वर्गीकरण और वेतनमान** : पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।
4. **भर्ती की पद्दति, आयु सीमा एवं अन्य योग्यताऐं** : उक्त पदों की भर्ती की पद्दति, आयु सीमा, योग्यताऐं तथा इससे सम्बधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।
5. **अयोग्यताऐं** : वह व्यक्ति
   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति/पत्नी जीवित हो, से विवाह कर लिया है, अथवा करार किया है अथवा
   (ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है, उपरोक्त किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा :–
   परन्तु दिल्ली जल बोर्ड यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू वे वैयक्तिक कानून के अंतर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है एवं इस विवाह को करने के लिए अन्य आधार भी हैं, किसी व्यक्ति को इस विनियम से मुक्त कर सकता है ।
6. **नियमित सेवा** : किसी भी ग्रेड में नियमित सेवा का अर्थ है उक्त ग्रेड में दीर्घ अवधि नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन के द्वारा उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि या अवधियां इसमें उनके अवकाश पर रहने अथवा ऐसे पद को संभालने के लिए उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद को न संभाल पाने की अवधि अथवा अवधियां भी सम्मिलित होंगी ।
7. **शिथिलता प्रदान करने की शक्ति** : जहां राष्ट्रीय राजधानरी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, यह आदेश देकर, लिखित में कारणों को रिकार्ड करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्ति को इन विनियमों के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान कर सकती है ।
8. **बचाव** :– इन विनियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष पिछडें वर्गो के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किये जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।
9. **निरसन** : दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना संख्या एफ 9/2/81 एल.एस.जी.–1490 दिनांक 27.2.1984,इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से निरस्त हो जायेगी।

अनुसूची

दिल्ली जल बोर्ड, कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियम

1.	पद का नाम	:	कनिष्ठ आशुलिपिक
2.	पदों की संख्या	:	83 (2008) कार्यभार के आधार पर निर्भर विभिन्नता की शर्त पर ।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग "बी"
4.	वेतनमान	:	रूपये पी.बी.–2 9300–34000 ग्रेड पे 4200/–
5.	चयन अथवा गैर चयन	:	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश/निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियें एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक के लिए शिथिलनीय । **टिप्पणी :** अभ्यार्थियों की आयु सीमा निश्चित करने के लिए भारत सरकार में प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से निर्णायक होगी । (आसाम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नांगालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, कश्मीर राज्य के तदपश्चात प्रभाग लाहौल एवं स्पीति हिमाचल प्रदेश के चम्बा राज्य के पॉगी उप–प्रभाग अंडमान तथा निकोबार द्वीप अथवा लक्ष्यदीप के लिए निर्धारित तिथि अंतिम तिथि नहीं ।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताऐं	:	**अनिवार्य :** 1. किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/ बोर्ड/विश्व विद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण । 2. निम्नलिखित मानकों के अनुसार आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए :– उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मीनटों के लिए डिक्टेशन दी जाएगी । डिक्टेशन दी गई सामग्री कम्प्यूटर पर 40 मिनटों में (अंगेजी) या 55 मिनटों में (हिन्दी) में प्रतिलिखित होनी चाहिए । **नोट** : अन्यथा सूयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय है ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं वॉछिक योग्यताऐं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ।	:	लागू नहीं ।
9.	परवीक्षा की अविध :	:	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष ।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्त /संविलयन द्वारा विभिन्न विधियों से पदों को भरें जाने का प्रतिशत ।	:	1. 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 2. 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : जब तक विद्यमान रूप्ये पी.बी.–1 5200–20200 ग्रेड पे 2400/– के वेतनमान में स्टेनो टाइपिस्ट के धारक नियमित आधार पर इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से पदोन्नति किये जायेंगे यदि उन्हें पदोन्नति के योग्य हों, भर्ती की प्रकिया पदोन्नति द्वारा जारी व उपरोक्त भर्ती की पद्धति को लम्बित रखा जाए । उसके

			पश्चात होने वाले सभी रिक्त पदों को कालम – 10 में उल्लिखित अनुसार भरा जाए ।
11.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / संविलयन द्वारा भर्ती के मामलों में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / संविलयन किया जाना है?	:	**पदोन्नति :** ग्रेड में 10 वर्षो की नियमित सेवा सहित 2400/–रूपये ग्रेड पे सहित पे बैंड–1 5200–20200/–रूपये स्टेनों टाईपिस्ट तथा जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान पर आशुलिपि में 10 दिनों का प्रशिक्षण पूर्ण किया हो । टीप–1 :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे, बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधी के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि में अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है । टीप 2 :– पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिए 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रिय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है । यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी ।
12.	क्या विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	:	**वर्ग 'बी' (स्थायी /पदोन्नति करने के लिए विचार हेतु)** 1. निदेशक (प्रशा.एवं कार्मिक) दि0जल बोर्ड : अध्यक्ष 2. सहायक आयुक्त (जल) दि0जल बोर्ड : सदस्य 3. सहायक आयुक्त/प्रशासनिक अधिकारी : सदस्य (संबंधित) दि0जल बोर्ड
13.	वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है ?	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के नाम व आदेश से,

एस. एस. राठौर, विशेष सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th May, 2013

No. F. 16(12)/97/UD/W/327.—The following Recruitment and Promotion Regulations made by the Delhi Water Board under Clause (m) sub-section (2) of Section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No.4 of 1998) vide Competent Authority orders dated 14-07-2011 necessary for appointment to the post of Junior Stenographers in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information, namely :—

2030855/13–4

RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS FOR THE POST OF JUNIOR STENOGRAPHER IN DELHI JAL BOARD DELHI.

1. **Short title and commencement** - These regulations may be called the Junior Stenographer in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulations , 2013.

2. **Application** -They shall apply to the post specified in column No. 1 of the schedule hereto annexed.

3. **Number of posts, classification and scale of pay**- The number of posts, their classification and the scale of pay attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications** - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications** - No person, -

(a) Who has entered or contracted a marriage with person having a spouse living ; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. **Regular service** - "Regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection in accordance with the prescribed procedure of selection on long terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post.

7. **Power to Relax** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for reason to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. **Saving** - Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. **Repeal**-Delhi Administration Notification F. 9/2/81-LSG-1490 dated 27.02.1984 shall stand repealed from the date of issue of this notification.

SCHEDULE

Recruitment Rules far the post of Junior Stenographers in Delhi Jal Board

Name of the posts	No. of posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made..	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making rectt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Junior Stenographer	83* (2012) Subject to variation on dependent on workload.	Category 'B'	PB-2 Rs. 9300-34800 (Grade Pay Rs. 4200/-).	Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. servants and employees of the government of NCT of Delhi upto Five years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government.) **Note** – The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential** :- (1) 12th pass from a recognized School/Board/ University. (2)Must qualify the Stenography test as per the following norms :- The candidates will be given a dictation in English/ Hindi for 10 minutes at the speed of 100 w.p.m. the dictated matter should be transcribed on computer in 40 minutes (English) OR 55 minutes (Hindi). **Note** :-Qualifications are relaxable at the discretion of the Delhi Subordinate Service Selection Board, for reasons to be recorded in writing, In case of candidates otherwise well qualified.	No	Two years for direct recruits.	10% By Promotion. 90% By direct recruitment. **NOTE** :- The above method of recruitment shall be kept in abeyance and the method of recruitment operated as entirely by promotion until all the Existing incumbents holding the post of steno typist in the Pay Band-I, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- on regular basis on the date of notification of these rules are promoted initially, provided they are found suitable for promotion. All vacancies which will arise thereafter shall be filled by the method of recruitment indicated in col. (10).	**PROMOTION :-** Steno typist in Pay Band – I, Rs. 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 2400/- with ten years of regular service in the grade and who have completed ten days training in stenography from the Delhi Jal Board training Institute. **NOTE 1** :-Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **NOTE 2** :- For the purpose of computing minimum qualifying service for Promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/ the date from which the revised Pay structure based on the Sixth Central Pay Commission Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendation of the Pay Commission.	**Group 'B' DPC (for considering Promotion and confirmation).** 1. Director (Admn. & Personal), DJB- Chairman 2. Asstt. Commissioner (W), DJB - Member 3. Asstt. Commissioner/ Administrative Officer concerned. - Member	Consultation with UPSC not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

S.S. RATHOR, Spl. Secy. (Water)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.